प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी ई.पी.एफ.ओ.,2020

स्क्राइब के लिए ई-प्रवेश पत्र

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ-साथ आयोग द्वारा उम्मीदवार/स्क्राइब के विरुद्ध अन्य उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीदवार और स्क्राइब, दोनों ही भर्ती परीक्षण के नियमों के अध्यधीन होंगे और इनका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध परीक्षा के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2. ऐसे विकलांग उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए अपने स्क्राइब लाने की अनुमति प्रदान की है, वे स्क्राइब की सहायता तभी ले पाएंगे, जब उनके पास आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ विधिवत जारी मान्य स्क्राइब प्रवेश पत्र उपलब्ध हो।

3. ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए अपने स्क्राइब लाने की अनुमति प्रदान की है, उन्हें बाद में आयोग को सूचित किए बिना अपना स्क्राइब बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. स्क्राइब उम्मीदवार को प्रश्न पढ़ कर सुनाएगा तथा उम्मीदवार के निर्देश पर उत्तर अंकित करेगा।

5. स्क्राइब ऐसा कोई इशारा, आवाज या कोई अन्य संवाद या संकेत नहीं करेगा जिससे उम्मीदवार को यह लगे कि उसके द्वारा लिखाया जाने वाला उत्तर सही है अथवा नहीं। इस प्रकार का प्रयास किए जाने पर उम्मीदवार की अर्हता रद्द कर दी जाएगी और संबंधित उम्मीदवार और स्क्राइब, दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

6. स्क्राइब द्वारा उम्मीदवार को प्रश्न पढ़कर सुनाते समय या उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब को उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए स्क्राइब को सही उत्तर बताते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भर्ती परीक्षण हॉल की या भर्ती परीक्षण हॉल में बैठे अन्य उम्मीदवारों की शांति भंग न हो।

7. उम्मीदवार और स्क्राइब को इस आशय की घोषणा पर भी हस्ताक्षर करने होंगे कि वे उम्मीदवारों तथा उनके स्क्राइबों के आचरण के संदर्भ में आयोग के परीक्षा संबंधी अनुदेशों से अवगत हैं/ उन्होंने इन अनुदेशों को पढ़ लिया है और वे इन अनुदेशों का अनुपालन करने का वचन देते हैं।

8. उम्मीदवार या उसके द्वारा लाए गए स्क्राइब को आयोग द्वारा किसी टीए/डीए अथवा अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. आयोग के स्काइब तथा उम्मीदवार के स्क्राइब की योग्यता, भर्ती परीक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता दसवीं या उससे अधिक होनी चाहिए।

10. सभी स्क्राइबों के लिए मास्क पहनना/फेस कवर करना अनिवार्य है। जिन स्क्राइबों ने मास्क नहीं पहना होगा/फेस शील्ड से फेस कवर नहीं किया होगा, उन्हें परीक्षण स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. तथापि, भर्ती परीक्षण प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा, सत्यापन किए जाने पर स्क्राइबों को मास्क/फेस शील्ड हटानी होगी।

12. स्क्राइब, अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी (छोटे आकार की) में हैंड सैनिटाइजर ला सकते हैं।

13. स्क्राइबों को कोविड-19 के मानदण्डों का अनुपालन करते हुए, भर्ती परीक्षण हाल/कक्ष के भीतर तथा परीक्षा-स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा।

ENFORCEMENT OFFICER/ACCOUNTS OFFICER,E.P.F.O., 2020

E-Admit Card For Scribe

Important Instructions

1. Violation of any of the instructions shall entail cancellation of the candidature of the candidate in addition to any other appropriate action that may be taken by the Commission against the candidate/scribe. Both the candidate and the scribe shall be subject to the rules of Recruitment Test and action will be taken against them for violation of the same as per rules of the Recruitment Test.

2. The Candidates with disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will be allowed to avail the assistance of such Scribe, only if he/she carries a valid Scribe Admit Card duly issued by the Commission for such purpose.

3. The Candidates with disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will not be allowed to change their Scribe subsequently without intimating the commission.

4. The scribe will read out the question to the candidate and on candidate's instruction, will mark the answer.

5. The scribe will make no gestures, sounds or any other response or communication designed to indicate to the candidate the correctness or otherwise of the answer being recorded by him/her. Any such attempt would entail disqualification of the candidate and stringent action against both the candidate and the scribe shall be taken.

6. The peace in the Recruitment Test hall or of the other candidates seated in the Recruitment Test hall should not be disturbed while the scribe reads out the questions to the candidate or when the candidate indicates the correct response to the scribe for marking.

7. The candidate and the scribe will sign a declaration that they are aware of/have read the Commission's instructions regarding the conduct of the candidate and his/her scribe and they undertake to abide by these instructions.

8. No TA/DA or any remuneration will be paid by the Commission either to the candidate or the scribe brought by the candidate.

9. The qualification of the Commission’s scribe as well as the Candidate’s scribe shall not be more than the minimum educational qualification criteria of the Recruitment Test. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

10. Wearing of mask/face shield is mandatory for all Scribe. Scribe without mask/face shield will not be allowed entry into the Venue.

11. Scribe, however, will have to remove their masks/face shield for verification, whenever required by the Recruitment Test functionaries.

12. Scribe may carry his/her own hand sanitizer (small size) in transparent bottle.

13. Scribe to follow COVID 19 norms of 'social distancing' as well as 'personal hygiene' inside the Recruitment Test Halls/Rooms as well as in the premises of the Venue.